आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 11.06.2026 समय : 0705

<><><><><><><>

1. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' के तहत लाभ वितरण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
2. सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
3. कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
4. अंडमान निकोबार पुलिस, डीजीपी कप अंडमान निकोबार राज्य ओपन शतरंज प्रतियोगिता–2026 का आयोजन करेगा।

<><><><><><><>

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, की ओर से 19 जून को शाम 5 बजे आपदा प्रबंधन भवन में 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' के तहत लाभ वितरण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित एक देशव्यापी आयोजन का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली के विज्ञान भवन से करेंगे। इस केंद्रीय कार्यक्रम की कार्यवाही का स्थानीय कार्यक्रम के दौरान सीधा प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पात्र लाभार्थियों को 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' के लाभ वितरित किए जाएंगे। नियोक्ताओं, कर्मचारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ योजना के उद्देश्यों और इसके लाभों के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विभाग ने नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों, व्यापारिक निकायों, कर्मचारियों और लाभार्थियों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।

<><><><><><><>

सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20 हजार करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल सात सौ 70 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है।

<><><><><><><>

विज्ञान केन्द्र स्थित नवाचार केंद्र ने छात्रों के लिए वार्षिक सदस्यता कार्यक्रम हेतु पंजीकरण आमंत्रित किए हैं। नवाचार केंद्र छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वे विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में उभरती प्रौद्योगिकियों का पता लगा सकते हैं, वर्किंग मॉडल बना सकते हैं और स्टेम – विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 2,000 छात्र इस केंद्र का दौरा कर चुके हैं और अपने अभिनव विचारों को आइडिया बॉक्स में डाला है। व्यक्तिगत सदस्यता के तहत स्कूली छात्रों के लिए 2 हजार रुपये प्रति वर्ष, जबकि कॉलेज छात्रों के लिए 4 हजार प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। कक्षाएं शनिवार और रविवार सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर ढाई बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। संस्थागत सदस्यता के तहत स्कूल को 6 हजार रूपये प्रति वर्ष और कॉलेज को 8 हजार रूपये प्रति वर्ष देना होगा। इनकी कक्षाएं मंगलवार से शुक्रवार तक आयोजित होगी। इच्छुक प्रतिभागी पंजीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों के दौरान सुबह साढ़े दस बजे से शाम 5 बजे के बीच विज्ञान केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं।

<><><><><><><>

कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की ओर से श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 20 जून को सुबह 10 बजे परिसर में आयोजित होने वाले दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत में कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित पड़े मामलों और सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में दायर होने वाले पूर्व–मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। इच्छुक पक्ष या अधिवक्ता अपने आवेदन 16 जून शाम 5 बजे तक कलकत्ता उच्च न्यायालय सर्किट बेंच परिसर, पोर्ट ब्लेयर में जमा कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित तिथि तक कार्यालय की ईमेल पर भी भेजे जा सकते हैं। निर्धारित सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर अगली लोक अदालत में सुनवाई की जाएगी।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार पुलिस, अंडमान निकोबार शतरंज संघ के सहयोग से 27 और 28 जून, को पुलिस लाइन में दूसरी डीजीपी कप अंडमान निकोबार राज्य ओपन शतरंज प्रतियोगिता–2026 का आयोजन करने जा रही है। यह प्रतियोगिता फिडे शतरंज नियमों के तहत स्विस सिस्टम के आधार पर आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का वर्ष 2026–27 का एआईसीएफ पंजीकरण अनिवार्य है। इस प्रतियोगिता के लिए 350 रूपये का प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। ओवरऑल ओपन कैटेगरी के विजेताओं को नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा, सब–जूनियर और जूनियर श्रेणियों के लड़कों और लड़कियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को अलग से ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इच्छुक प्रतिभागी अपनी प्रविष्टि 25 जून तक पुलिस लाइन स्थित खेल अनुभाग में जमा कर सकते हैं।

<><><><><><><>

विश्व रक्तदाता दिवस कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर जीबी पंत अस्पताल स्थित ब्लड सेन्टर अंडमान निकोबार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम सुबह साढ़े नौ बजे आई टी आई डॉलीगंज में रखा गया है। इस दौरान नियमित रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया जाएगा।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार अग्नि एवं आपातकालीन सेवा की ओर से कल सरकारी, निजी अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा अग्निशमन सेवा कर्मियों के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक उमा शंकर ने की। इस अवसर पर उप–पुलिस अधीक्षक अंकेश यादव और फायर ब्रिगेड के निरीक्षक भी मौजूद थे। इसका मुख्य उद्देश्य हितधारकों को अंडमान निकोबार अग्नि एवं आपातकालीन सेवा विनियमन, 2026 के प्रमुख प्रावधानों और अग्निशमन सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन की जानकारी देना था। पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में इस विनियमन को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित बताते हुए धारा 26 और 27 के तहत अग्नि सुरक्षा ऑडिट से जुड़े प्रावधानों पर प्रकाश डाला। संवाद सत्र के दौरान हितधारकों को वार्षिक स्व–घोषणा, थर्ड–पार्टी फायर ऑडिट, अग्निशमन सुरक्षा बुनियादी ढांचे के रखरखाव, आपातकालीन तैयारी के उपायों और अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने में मालिकों और प्रबंधन अधिकारियों की जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मौजूदा अग्नि सुरक्षा उपायों में कमियों की पहचान

करने और वैधानिक अनुपालन आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए फायर ऑडिट किए जाएंगे।

<><><><><><><>

मध्योत्तर अंडमान में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), मायाबंदर ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 06 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा आईपीसी की धारा 506 के तहत किए गए अपराध के लिए आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पूरे मामले की जांच थाना प्रभारी, निरीक्षक विकास सिंह के नेतृत्व में चलाया गया।

<><><><><><><>

कृषि विज्ञान केंद्र, निंबुडेरा ने कृषि विभाग के सहयोग से हाल ही में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों और कृषि सामग्री विक्रेताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और जैविक खेती के तौर–तरीकों को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। यह पूरा कार्यक्रम केन्द्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. जय सुंदर और कृषि विज्ञान केंद्र, निंबुडेरा के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वाई. रामकृष्ण के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

<><><><><><><>